संख्या- 207 /2023/1386/चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊःदिनांक 25 मई, 2023

विषय:-विभिन्न प्रदेशों के राज्य लोक सेवा आयोगों के माननीय अध्यक्षगण की लखनऊ मे दिनांक 22.04.2023 से दिनांक 23.04.2023 तक आयोजित 24वीं नेशनल कान्फ्रेन्स पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-364/सं0नि0-15(7)/2023-24 दिनांक 09 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार विभिन्न प्रदेशों के राज्य लोक सेवा आयोगों के माननीय अध्यक्षगण की लखनऊ मे दिनांक 22.04.2023 से दिनांक 23.04.2023 तक सम्पन्न 24वीं नेशनल कान्फ्रेन्स के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय रू0 16 26,471/- (रूपये सोलह लाख छब्बीस हजार चार सौ इकहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) समस्त कार्यों का सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक पोस्ट आफिस मे जमा नही कीजायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृति धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों हेतु कदापि व्यय नही किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19 चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42 अन्य व्यय मद मे उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 207 /2023/1386/चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।